

‘रोड चौड़ी करना समय की मांग, लेकिन व्यक्ति के अधिकार भी नहीं हो प्रभावित’

मामला सिरसी रोड से क्वीन्ज़ रोड तक जा रही सड़क को चौड़ा करने की मांग से है

जयपुर। जेडीए अपीलौय अधिकरण ने सिरसी रोड से क्वीन्ज़ रोड तक जा रही सड़क को चौड़ा करने से जुडे मामले में कहा है कि वाहनों के बढते दबाव, शहर के विकास और सौदर्यीकरण के लिए रोड को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा करना समय की मांग है। लेकिन, इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के साम्पत्तिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो। अधिकरण ने कहा कि अतिक्रमी किसी अनुतोष के अधिकारी नहीं है, लेकिन वैध दस्तावेजों से काबिज व्यक्ति को उसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और इसे सुनिश्चित करने का दायित्व जेडीए जैसी संस्था को है। इसके साथ ही अधिकरण ने मामले में जेडीए की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करने से इनकार करते हुए अपीलार्थियों को कहा है कि वह ग्राम पंचायत के पट्टे व अन्य दस्तावेजों के साथ पन्द्रह दिन में जेडीए के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें। जेडीए यदि अपीलार्थियों के स्वामित्व को माने तो उनके मुआवजे का निर्धारण किया जाए। वहीं यदि उनके अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है तो अपीलार्थियों को सूचित

- जेडीए की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करने से इनकार करते हुए अपीलार्थियों को कहा है कि वह ग्राम पंचायत के पट्टे व अन्य दस्तावेजों के साथ पन्द्रह दिन में जेडीए के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें
- जे.डी.ए.के वकील अमित कुडी द्वारा अदालत को बताया गया कि उक्त सड़क पर 274 अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है और केवल 32 दुकानें हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं की गई है

करने के पन्द्रह दिन बाद अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। पीठासीन अधिकारी राजेश ने यह आदेश बच्चू सिंह व अन्य की ओर से पेश अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में कहा गया कि जेडीए ने गत 28 नवंबर को उन्हें जेडीए अधिनियम की धारा 72 के तहत नोटिस देकर दुकानों को रोड पर बनाना बताकर उन्हें हटाने की बात कही है, जबकि साल 1960 में ग्राम पंचायत कोर्ट झोटवाडा ने इस जमीन के पट्टे जारी किए थे और तब से अपीलार्थी यहां काबिज है। यहां स्थित रोड पूर्व में सौ फीट चौड़ी थी। वहीं मास्टर प्लान में इसे 160 फीट किया गया। अपील में कहा गया कि सिर्फ मास्टर प्लान में प्रस्तावित किए जाने

से जमीन का स्वामित्व जेडीए का नहीं हो जाता है। दूसरी ओर जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि संबंधित पट्टा जाली है। वहीं उनका पंजीकरण भी नहीं कराया गया है। मास्टर प्लान में इस रोड को 160 फीट करते समय आमजन से आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि 25 मई 2025 को इस मामले से जुडी एक अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश आनंद शर्मा ने सुनवाई के दौरान जे.डी.ए. अपिलेट टिब्यूनल को कहा है कि इस मामले

में अमित कुडी द्वारा अदालत को बताया गया कि उक्त सड़क पर 274 अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है और केवल 32 दुकानें हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इन दुकानों के मालिकों या कब्जाधारियों ने जे.डी.ए. अपिलेट टिब्यूनल से यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश उनके हक में पारित करवाये है। अमित कुडी ने हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि कई मामलों में अंतरिम रोक लगने के कारण जे.डी.ए. कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर अदालत ने आदेश दिए हैं कि अपिलेट टिब्यूनल इन मामलों पर संभवतः अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

धोखाधडी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। विधायकपुरी थाना पुलिस,साइबर सेल दक्षिण और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धोखाधडी के मामले में फरार दस हजार रुपये के इनामी बदमाश को जैसलमेर से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित के खिलाफ धोखाधडी के करीब दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। विधायकपुरी थाना पुलिस, साइबर सैल दक्षिण और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धोखाधडी के मामले में फरार दस हजार रुपये के इनामी बदमाश महेंद्र सिंह निवासी जैसलमेर को गिरफ्तार किया है अनिल कुमार ने अपनी आई – 20 गाड़ी बेचने के लिए ओएलएक्स पर एड डाला था।

‘योग केवल अभ्यास नहीं, शिक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा है’

जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूर्व तैयारियों को लेकर शुक्रवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की अध्यक्षता करते हुए शासन सचिव, शिक्षा कृष्ण कुणाल ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। बैठक में योग दिवस के सफल आयोजन के साथ-साथ हरियालों राजस्थान अभियान 2.0 सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सचिव शिक्षा ने सभी संबंधित

अधिकारियों को योग दिवस की तैयारियों को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय के साथ-साथ निजी विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी पर भी बल देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं से भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की अपील की। सचिव ने निर्देश दिए कि योग दिवस कार्यक्रम में सभी राजकीय

विद्यालयों के शिक्षकों व स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। इसके लिए शिक्षकों को निकटतम राजकीय विद्यालय से कार्यक्रम में भाग लेने की सुविधा दी गई है। उन्होंने सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों को 18 जून तक योग संगम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी विद्यालयों से भी अपील की कि वे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में उत्साहपूर्वक सहभागी बनें और विद्यार्थियों को योग के लाभों से अवगत कराएं।

पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत नहीं, ईडी कोर्ट ने खारिज की अर्जी

जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जोशी और से दायर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

- जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया

लौटाया जा चुका है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की पहले ही जमानत हो चुकी है। उससे कोई रिकवरी नहीं हुई है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा ने कहा कि मामले से जुड़े सह आरोपियों के बयान में आया है कि जोशी तक रिश्तत राशि पहुंचाई जाती थी। वहीं आरोपियों की फर्म से जोशी के बेटे की फर्म को भी लाखों रुपए का भुगतान किया गया था। अभियोजन पक्ष के पास जोशी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। ऐसे में यदि उन्हें जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जोशी ने अदालत को बताई थी वेदना- गत सुनवाई को सुनवाई के दौरान महेश जोशी न्यायिक अभिरक्षा से अदालत में हाजिर हुए थे। जोशी ने

अदालत को बताया था कि जेल प्रशासन उनकी गंभीर बीमारियों को सामान्य रूप में ले रहा है। वहीं जोशी की ओर से एसएमएस अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान संक्रमित होने की बात कही थी। इस पर पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने उनकी निजता को देखते हुए वहां मौजूद महिला अधिवक्ता को बाहर भेजते हुए कोर्ट स्टाफ की उपस्थिति में जोशी को जानकारी देने को कहा। इस दौरान जोशी की ओर से अदालत को अपनी बीमारी की जानकारी दी। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले में मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी के निधन होने के चलते कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत दी थी।

भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने विमान हादसे पर व्यक्त किया

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं समस्त प्रदेश पदाधिकारियों ने अहमदाबाद के विमान हादसे में 265 निर्दोष लोगों की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राठौड़ ने कहा कि हादसे में 241 यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल है। विमान हादसे में राजस्थान की चार महिलाओं के साथ 3 बच्चों सहित 12 यात्रियों की मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है और यथा संभव सरकार के साथ पार्टी स्तर पर सहायता राशि शोकाकुल परिजनों को मुहैया करवाई जाएगी। राठौड़ ने इस दुखद हादसे में घायल हुए सभी व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

- राजस्थान के 12 यात्रियों सहित 265 निर्दोष लोगों की असामयिक मृत्यु पर भाजपा परिवार की ओर से गहरी संवेदनाएं : जितेंद्र गोठवाल

भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हुआ है, जो एक प्रखर राजनीतिज्ञ थे। रूपानी का राजस्थान से विशेष लगाव था, उनके निधन से भाजपा राजस्थान को एक गहरा आघात लगा है। रूपानी ने प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया और निष्पक्षता से कार्य

संपादित किया था। राजस्थान संगठन चुनावों में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मार्गदर्शन प्रदान किया था। उनकी मृत्यु से भाजपा परिवार और राजनीति जगत में शोक छा गया। उनके योगदान और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को हमेशा याद किया जाएगा। गोठवाल ने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा परिवार इस कठिन घड़ी में एकजुट है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

महिला प्रशासक को हटाने के आदेश पर रोक, मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत राज विभाग के गत 8 मई के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत मियाडा के प्रशासक पद से हटा दिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायत सचिव व अतिरिक्त ग्रामीण विकास आयुक्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने यह आदेश लवली यादव की याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता बारां जिले की मियाडा ग्राम पंचायत में प्रशासक के पद पर कार्यरत थीं। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने उसे सुनवाई का मौका दिए बिना ही गत 8 मई को आदेश जारी कर प्रशासक पद से हटा दिया। इसके पूर्व उसे न तो जांच की

- 8 मई के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत मियाडा के प्रशासक पद से हटा दिया था

काँपी दी गई और ना ही सुनवाई का अवसर मिला। विभाग की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के खिलाफ है। इसलिए याचिकाकर्ता को प्रशासक पद से हटाए जाने वाले आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

गिरफ्तार आरोपीयों से हथियारों की बरामदगी

जयपुर। खोह नागोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 मई को दीपक मीना निवासी हिंडीन सिटी जिला करौली हाल इंदिरा गांधी नगर खोह नागोरियान पर लेनदेन को लेकर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित 23 वर्षीय अंकित मीना उर्फ सुक्का निवासी लौसा और 20 वर्षीय अर्जुन मीणा निवासी करौली से हथियारों की बरामदगी की गई है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) तेजस्विनी गौगम ने बताया कि खोह नागोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 मई को दीपक मीना निवासी हिंडीन सिटी जिला करौली

हाल इंदिरा गांधी नगर खोह नागोरियान पर लेनदेन को लेकर फायरिंग करने के मामले में 23 वर्षीय अंकित मीना उर्फ सुक्का निवासी लौसा और 20 वर्षीय अर्जुन मीणा निवासी करौली से अवैध दो देशी कट्टे बरामद किए गए हैं। इससे पूर्व में पुलिस ने अभिषेक मीणा निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल रामनगरिया जिला जयपुर और रोहिताश मीणा निवासी टोडाभीम जिला करौली को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपितों से अब तक तीन अवैध देशी कट्टे बरामद किए जा चुके हैं।

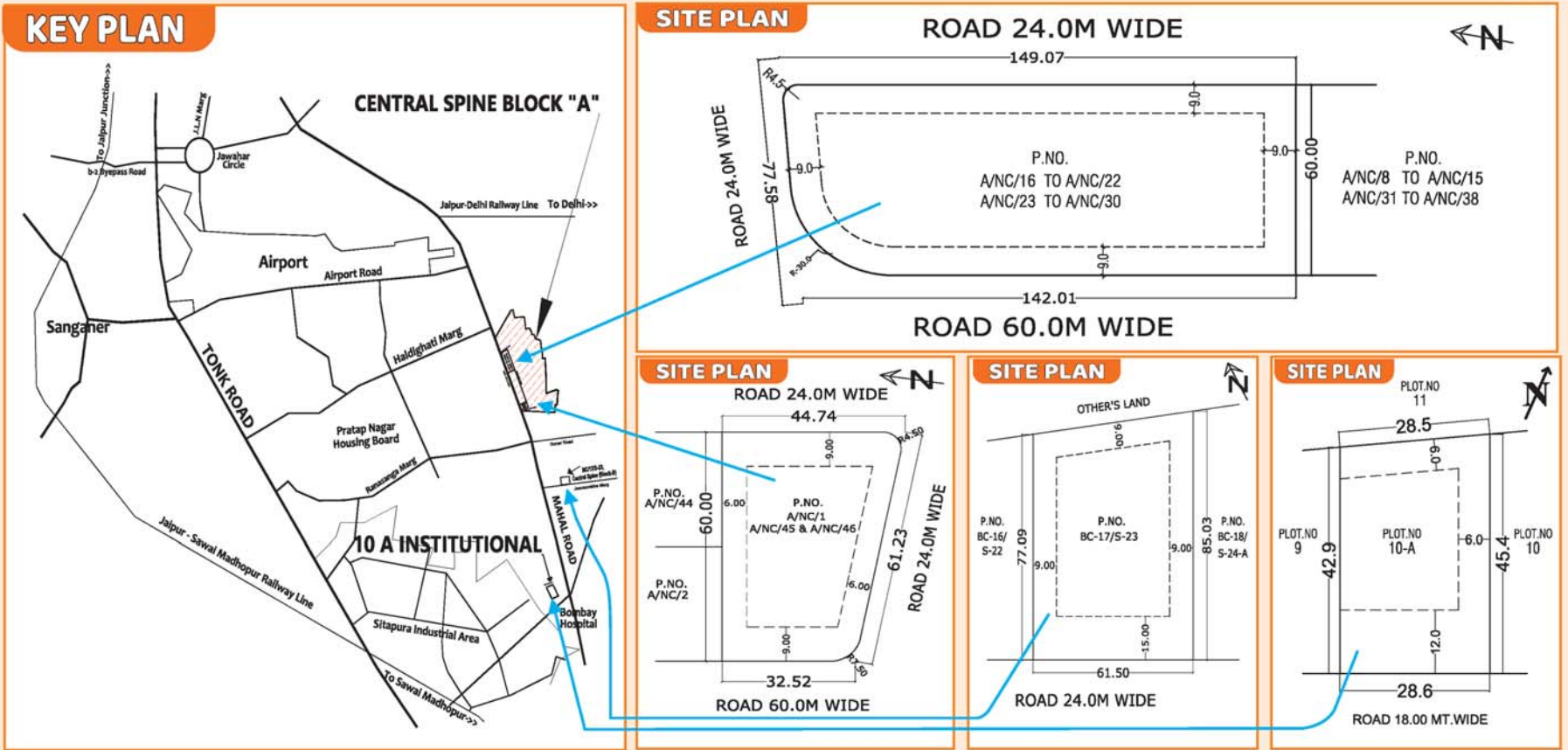
कांस्टेबल के सवा लाख रुपए पार किए

जयपुर। कालवाड़ थाना इलाके में सब्जी खरीदने गए कांस्टेबल का किसी ने मोबाइल पार कर लिया और फिर उसके खाते से ऑनलाइन 1.21 लाख रुपए पार लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर की प्राईम लोकेशन जगतपुरा में

सेन्ट्रल स्पाईन योजना स्थित व्यावसायिक भूखण्ड एवं यमचन्द्रपुरा योजना स्थित संस्थानिक भूखण्ड ई-नीलामी के माध्यम से खरीदने का सुनहरा अवसर



क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	कॉनर हॉ/ना	साईज (वर्ग मीटर)	प्रकार	बी.ए.आर./एफ.ए.आर. अधिकतम ऊंचाई (मीटर) अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	अमानत राशि (रुपये)	बोली प्रारम्भ करने की दर (प्रति वर्ग मी.)	अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	नीलामी की अंतिम तिथि व समय
1	व्यावसायिक प्लॉट नं. A/NC/16 To A/NC/22 & A/NC/23 To A/NC/30 (Corner) Central Spine(Block-A), Jaipur (Zone-9)	हाँ	8570.11	व्यावसायिक	नियमानुसार	5,22,77,680	3,05,000	27.06.2025 11:00 AM	30.06.2025 12:30 PM
2	व्यावसायिक प्लॉट नं. A/NC/1, A/NC/45 & A/NC/46 (Corner), Central Spine (Block-A), Jaipur (Zone-9)	हाँ	2306.25	व्यावसायिक	नियमानुसार	1,45,29,380	3,15,000	01.07.2025 11:00 AM	02.07.2025 12:30 PM
3	व्यावसायिक प्लॉट नं. BC/17/S-23, Central Spine (Block-B), Jaipur (Zone-9)	हाँ	4985.19	व्यावसायिक	नियमानुसार	1,49,55,570	1,50,000	18.07.2025 11:00 AM	21.07.2025 12:30 PM
4	संस्थानिक प्लॉट नं. 10A, Ramchandrapura Scheme, Jaipur (Zone-9)	ना	1000.00	संस्थानिक	नियमानुसार	24,20,000	1,21,000	22.07.2025 11:00 AM	23.07.2025 12:30 PM

* अधिकतम ऊंचाई: एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्राप्त एन.ओ.सी. के अनुसार, जो भी कम हो। बोली विस्तार: बोली लगाने का समय आगामी 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जा सकता है (असीमित समय तक जब तक बोलियां लगातार प्राप्त होती रहें)। यदि इस विस्तारित अवधि के भीतर कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो बोली स्वतः बंद हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया जविषा वेबसाइट:

www.jda.rajasthan.gov.in पर लॉग ऑन करें या ई-नीलामी लिंक पर या ओएसडी (आरएम) से संपर्क करें (0141-2570678, 2569696 एक्स.-7021,7226, 1128, मोबाइल नंबर 9462569696)

नीलामी के नियम व शर्तों के लिए विजिट करें ज.वि.प्रा. की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in



अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: **+91-9462 569 696**

इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004